

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक- 235 /14-1, बुलन्दशहर, दिनांक, 27, जुलाई, 2021

सेवा में,

मैसर्स इन्डियन ऑयल,
अडानी गैस प्रा० लि०,
द्वितीय तल निगट प्लाजा सामद रोड, सेन्टर पार्इन्ट
अलीगढ़।

विषय:- ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाली अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए गैस पाईप लाईन डालने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र सं० आई०ओ०ए०जी०पी०एल०/ए०एल०जी०/ फारेस्ट/ 41 दिनांक 23.01.2021 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या 2868/14-1 दिनांक 19.02.2021, पत्र संख्या 3694/14-1 दिनांक 21.05.2021।

इस कार्यालय की पत्र संख्या 2868/14-1 दिनांक 19.02.2021 द्वारा आपको अवगत कराया था कि आप द्वारा ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाली अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए 0.015 है० संरक्षित वन भूमि में गैस पाईप लाईन डालने के प्रस्ताव भेजे गये हैं वह अपूर्ण है।

आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र सं० 11/मिस०/618/2016-17/यू०पी०/राज०/दिल्ली/11/37 दिनांक 23.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं० 17/11सी दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र को लगाने हेतु 42 बिन्दुओं की सूची एवं प्रस्ताव में आमंतौर पर पायी जाने वाली कमियों/त्रुटियों के सम्बन्ध में 34 बिन्दु की सूची संलग्न कर भेजी गयी थी कि आप इन बिन्दुओं का भली भाँति अध्ययन कर चैकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराकर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। परन्तु आप द्वारा समस्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः आप समस्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।